राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प / जय / फा. 60706 / 2017–18 / 8635 दिनांकः 30/ 11/2017

जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रामाशिप., समस्त जिला

विषय :– आईसीटी तृतीय चरण के विद्यालयों के माध्यम से होने वाले एसआईक्यूई प्रसारण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षकों को शैक्षिक समर्थन प्रदान करने के लिए निरन्तर संवाद की व्यवस्था है। आईसीटी तृतीय चरण के विद्यालयों में उपलब्ध लाइव प्रसारण सुविधा द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों हेतु प्रत्येक दो माह में विषय आधारित वी.सी आयोजित की जाती है। फील्ड से प्राप्त रिपोर्ट्स के आधार पर निम्न समस्याएं देखी जा रही हैं –

- तकनीकी खराबी के कारण प्रसारण संचालित नहीं हो पाता है जिससे शिक्षकों का समय व श्रम व्यर्थ जाता है।
- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपयुक्त मॉनीटरिंग के अभाव में शिक्षकों की उपस्थित समयबद्व व नियमित नही रहती हैं।
- पूर्व निर्देशों के अनुसार जिले में उपलब्ध वी.सी केन्द्रों पर शिक्षकों की संख्या का आवंटन दूरी के आधार पर किया जाना प्रस्तावित था। परन्तु देखने में आ रहा है कि इस की पालना नही हो रही। शिक्षक अपनी सुविधा से केन्द्रों पर पहुंच रहे है जिससे कतिपय केन्द्रो पर शिक्षकों की संख्या अधिक हो जाती है।

अतः वीसी की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य संपादित करें –

- अपने जिले में उपलब्ध केन्द्रों पर क्षेत्रवार व क्षमता के अनुसार शिक्षकों की संख्या आवंटित कर इसकी सूची राज्य कार्यालय को प्रेषित करें। ध्यान रखें कि केन्द्रों की दूरी सम्बन्धित शिक्षक के नियुक्ति स्थल से Map की जाये न कि उनके निवास स्थल से। इस आवंटन में प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को भी सम्मिलित करें।
- प्रत्येक केन्द्र पर तकनीकी संचालन सुनिश्चित करें। इसके लिये Service Providing Agency से नियमित व निरन्तर संवाद रखें। वीसी से 2 दिन पूर्व प्रत्येक केन्द्र की Functional Report प्राप्त करें। यदि पूर्व में केन्द्र की Non Functional Report प्राप्त है तो उस केन्द्र पर आंवटित शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में पहुंचने के निर्देश समय पर जारी करें। आप अपने जिले के आईसीटी तृतीय चरण विद्यालयों के संस्थाप्रधानों का Whatsaap समूह बना लें ताकि Functionality व Attendance आदि की सूचना आप त्वरित गति से संधारित व संप्रेषित कर सकें।
- वी.सी के दिन आप स्वयं व जिले में कार्यरत अन्य शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक, प्रारम्भिक, आरएमएसए, एसएसए व बीईईओ आदि) कम से कम दो विद्यालयों को अवलोकन करें व रिपोर्ट्स संधारित करें। समेकित रिपोर्ट राज्य कार्यालय को भी उसी दिन प्रेषित करें।
- यथा संभव नजदीकी विद्यालयों में उपलब्ध केआरपी की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने का प्रयास करे ताकि शिक्षकों को आवश्यक संबलन प्रदान किया जा सकें।

नियमित व समयबद्व मॉनीटरिंग से एसआईक्यूई प्रक्रिया का वास्तविक क्रियान्वयन विद्यालयों में संभव हो सकेगा। अतः इस गतिविधि की पुख्ता मॉनीटरिंग करें।

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।

D:\d drive\ICT/ICT Letter

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
6. निजी सहायक, निदेशक, एसआईईआरटी. उदयपुर
7. उपायुक्त, रामाशिप. जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जयपुर।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप./राप्राशिप. को भेजकर लेख है कि निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. उपनिदेशक, आईसीटी, रामाशिप. जयपुर।
12. यूनिसैफ, जयपुर।
13. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर को देकर लेख है कि प्रसारण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।
14. एसआईक्यूई नोडल प्रभारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. कॉम्प्यूकॉम प्रा.लि. एवं आई एण्ड एलएफ, को प्रेषित कर लेख है कि आईसीटी तृतीय चरण विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करें स्टूडियों मे गुणवत्तापूर्ण प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
17. शाला दर्पण, प्रभारी रामाशिप. जयपुर।
18. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।

www.rajteachers.com